न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/20/2025	2025/274	04.03.2025	08.04.2026

01. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)। —प्रार्थी

बनाम

01. मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री बद्री प्रसाद शर्मा, नि0 ग्राम पोस्ट उमरैण, अलवर , राज0।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 04 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थिति :—

1. प्रवर्तन अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि।

—:: निर्णय ::—

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 04 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 31.01.2025 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री विजयपाल यादव, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री बद्री प्रसाद शर्मा, निवासी ग्राम पोस्ट उमरैण, जिला अलवर के गौरी स्वीट्स एण्ड नमकीन कॉर्नर, काला कुंआ चुंगी, जयपुर रोड, अलवर स्थित परिसर पर पहुंचे।

मौके पर श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री बद्री प्रसाद शर्मा, निवासी ग्राम पोस्ट उमरैण, जिला अलवर उपस्थित मिले। श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री बद्री प्रसाद शर्मा की दुकान पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री बद्री प्रसाद शर्मा वक्त जांच घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री बद्री प्रसाद शर्मा के द्वारा घरेलू सिलेण्डर व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 4 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 4 घरेलू गैस सिलेण्डर को मै० मॉर्डन गैस एजेंसी, अलवर के प्रतिनिधि श्री भगवान सिंह पुत्र श्री अमर सिंह निवासी तिजारा रोड, अलवर को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 4 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने समर्थन में जरिये अधिवक्ता लिखित जवाब प्रस्तुत कर बहस में कथन किया है कि दिनांक 31.01.2025 को श्रीमान जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार रणधीर सिंह प्रवर्तन अधिकारी, बहमराह श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन पर्यवेक्षक एंव श्री विजयपाल यादव, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलु गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री बद्री प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम पोस्ट उमरैण, जिला अलवर के गौरी स्वीट्स एण्ड नमकीन कॉर्नर, काला कुआँ चुंगी, जयपुर रोड, अलवर में स्थित परिसर पर पहुँचे तथा मौके पर श्री मनोज कुमार शर्मा उपस्थित मिले। श्री मनोज कुमार की दुकान पर 04 घरेलु गैस सिलैण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। फर्द अधिग्रहण एंव फर्द सुपूदूर्गनामा पृथक से तैयार किया गया। श्री मनोज कुमार शर्मा वक्त जांच घरेलु एंव व्यवसायिक गैस सिलैण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज

अति. अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री मनोज कुमार शर्मा के घरेलु सिलैण्डर का व्यवसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) के प्रावधानो का उल्लंघन है उक्त समस्त कथन असत्य, आधारहीन, मिथ्या, फर्जी, नुमाईशी डमी शिकायत के आधार मौके व रिकार्ड की वास्तविक वस्तु स्थिति के अनुरूप अंकित नहीं किये जाकर आधारहीन, मिथ्या अंकित किये गये है। जबकि मिन प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) के प्रावधानों का किसी प्रकार का कोई व्यतिक्रम कारित नहीं किया गया तथा ना ही मौके पर घरेलु गैस सिलैण्डरों का व्यवसायिक उपयोग किया गया।

प्रार्थी वाके ग्राम उमरैण का निवासी है। तथा प्रार्थी के ग्राम उमरैण में कोई भी घरेलु व व्यवसायिक गैस ऐजेन्सी संचालित नहीं है। चूंकि प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का सीधा, साधा, सरल व्यवहार कुशल व्यक्ति है तथा विधिक पेचिदिगियों से अनभिज्ञ है। तथा प्रार्थी द्वारा अपने परिवार का जीवन यापन करने हेतु गौर स्वीटस एण्ड नमकीन कॉर्नर, काला कुआँ, जयपुर रोड पर संचालित की जा रही है। मिन प्रार्थी की दुकान पुश्तैनी ग्राम उमरैण के पास ही अलवर शहर में संचालित है। जिस दुकान पर समस्त ग्रामवासियान व रिश्तेदारो तथा परिचितों का नियमित आना–जाना लगा रहता है। जिस कारण प्रार्थी के ग्रामवासियान, परिचित एंव रिश्तेदार अलवर शहर में अपनी दैनिक आवश्यकताओं का सामान खरीदने आते–जाते रहते है तथा अपने निजी सामान की अधिकता होने व समय पर साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी की दुकान पर रख जाते है तथा बाद में सुगम व सरल साधन उपलब्ध होने पर सामान को अपने घर ले जाते है। इसी क्रम में ही प्रार्थी के परिचितों एंव ग्रामवासियान द्वारा अलवर शहर से अपनी निजी आवश्यकता हेतु घरेलु गैस सिलेण्डर क्रय किये गये थे तथा घर ले जाने हेतु साधान नहीं होने के कारण प्रार्थी की दुकान पर सुरक्षित रख दिया गया था। प्रार्थी की दुकान के आस–पास अन्य व्यवसायिक व वार्णिज्किय गतिविधियाँ संचालित की जा रही है। तथा जिला रसद अधिकारी को व्यवसायिक प्रतिस्पर्दा के कारण ही किसी दीगर व अजनबी, नुमाईशी व्यक्ति द्वारा रंजिशवश प्रार्थी की दुकान पर घरेलु गैस सिलैण्डरों की आधारहीन, मिथ्या, शिकायत दिनांक 31–01–2025 को की गयी थी। जबकि प्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलैण्डरों का उपयोग व्यवसायिक उपयोग हेतु नहीं किया जा रहा था। प्रार्थी के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी के अधिनस्थ अधिकारियों द्वारा असत्य, आधारहीन, मिथ्या कथनो के आधार पर कार्यवाही की गयी है। प्रार्थी के विरूद्व जिला रसद अधिकारी के अधिनस्थ अधिकारियों द्वारा धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 में वर्णित विधिक प्रक्रिया व कानूनी प्रावधानों का अक्षरशः पालन नहीं किये जाने के कारण की गयी कुल कार्यवाही अनियमित, अनैतिक, असंवैधानिक है।

प्रार्थी के विरूद्ध की गयी अनियमित, असंवैधानिक कार्यवाही करते समय प्रार्थी को विधि अनुसार अवगत नहीं कराया तथा ना ही समझाया गया तथा ना ही मौके की फोटोग्राफी व विडीयोंग्राफी की गयी तथा पडौसी दुकानदारों की उपस्थिति में जप्त सामान का पंचनामा बनाया गया। बल्कि दबाब बनाकर मौके व रिकार्ड की वास्तविक वस्तुत के खिलाफ मनमाने तरीके से प्रार्थी के परिचितों व रिश्तेदारों के 04 घरेलु सिलेण्डर जप्त कर लिये गये। जिला रसद अधिकारी के अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा दिनांक 31–01–2025 को कार्यवाही करते समय जप्तशुदा घरेलु सिलैण्डर के विशिष्ट एस.आर. क्रमांक अनुसार सिलैण्डर जप्त करते समय विशिष्ट सिलैण्डर किस समान/मिठाई/नमकीन इत्यादि में उपयोग किया जा रहा था जिसका भी अंकन कूल कार्यवाही में नहीं किये जाने के कारण भी उक्त कार्यवाही अनियमित, असवैधानिक होने कारण निरस्त किये जाने योग्य है। एस.आर. कमांक 32869, 40122, 854671, 91506 सिलैण्डर का उपयोग किस वस्तु में किया जा रहा इसका भी अंकन कुल कार्यवाही में नहीं किया गया है। तथा ना ही निरीक्षण पर्चा में एलपीजी सिलैण्डरों का उपयोग किस प्रकार

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

की वस्तु बनाये जाने में व्यवसायिक किया जा रहा अंकन नहीं किया गया तथा कूल कार्यवाही में फर्जी, नुमाईशी डमी व्यक्तियों के बतौर साक्षी हस्ताक्षर करवाये गये है। उक्त व्यक्तियों में कोई भी व्यक्ति प्रार्थी की दुकान का पडौसी या कर्मचारी नहीं है। तथा समस्त साक्षी जिला रसद अधिकारी कार्यालय कर्मचारियों के परिचित व्यक्ति है अर्थात स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित की गयी कुल विधिक कार्यवाही अनियिमत, असर्वैधानिक विधिक प्रक्रिया व कानून को ताक में रखते हुए किये जाने के कारण प्रार्थी को जप्तशुदा सिलैण्डर दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक है ताकि प्रार्थी अपने परिचित व ग्राम वासियान को सिलैण्डर वापस कर सके।

अतः प्रतर्वन अधिकारी रसद विभाग द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत परिवाद पत्र अर्न्तगत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 का जवाब मिन अप्रार्थी की ओर से पेश कर निवेदन है कि जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की आज्ञा सादिर फरमायी जावें तथा मिन अप्रार्थी को उसके परिचित व ग्रामवासियान के जप्तशुदा 04 घरेलु सिलैण्डर को वापस दिलाये जाने की आज्ञा सादिर फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस पूर्ण।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, फर्द जब्ती, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब का गहनता से अवलोकन व मनन किया गया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि दिनांक 31.01.2025 को उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान गौरी स्वीट्स एण्ड नमकीन कॉर्नर से 04 घरेलू गैस सिलेण्डर एस.आर. क्रमांक 32869, 40122, 854671, 91506 बरामद किए गए थे। अप्रार्थी का यह तर्क कि उक्त सिलेण्डर ग्रामवासियों ने साधन न होने के कारण अमानत के तौर पर उनकी दुकान पर रखे थे, पूर्णतः अविश्वसनीय और मनगढ़ंत प्रतीत होता है। यदि ये सिलेण्डर वास्तव में अन्य व्यक्तियों के थे, तो निरीक्षण के समय या तदुपरांत किसी भी ग्रामवासी या उपभोक्ता ने विभाग या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उन सिलेण्डरों पर अपना मालिकाना हक या दावा प्रस्तुत नहीं किया।

एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान मिठाई और नमकीन की दुकान के भीतर 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों का एक साथ पाया जाना स्वयं इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि इनका उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। आवश्यक वस्तु अधिनियम और एलपीजी आदेश 2000 के तहत घरेलू गैस का किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में भंडारण या उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। अप्रार्थी द्वारा वीडियोग्राफी न होने या गवाहों की प्रकृति पर उठाए गए सवाल विभागीय कार्यवाही को दूषित नहीं करते हैं, क्योंकि मौके से सिलेण्डरों की बरामदगी निर्विवाद है और अप्रार्थी के पास उन्हें रखने का कोई वैध लाइसेंस या बिल मौजूद नहीं था। अतः प्रार्थी (प्रवर्तन अधिकारी) द्वारा प्रस्तुत तर्क साक्ष्यों के आधार पर अप्रार्थी का कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। जब्त किए गए 04 घरेलू गैस सिलेण्डर (एस.आर. क्रमांक 32869, 40122, 854671, 91506) को राजसात किया जाता है। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डर को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बीना महावर)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)